No.7 (1)/EV/2008
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, Dated 10th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Rate of monthly subscription and insurance cover under CGEGIS-1980 for erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1, Grade Pay Rs. 1800/- and classified as Group 'C'.

The undersigned is directed to invite the attention of all Ministries/Departments of the Central Government to this Ministry's O.M. No. F.7(5)-EV/89 dated 15th May, 1989 updating the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

2. The 6th Central Pay Commission in para 4.9.4 of its report has recommended that the rate of monthly subscription and the amount of insurance cover under the Central Government Employees Group Insurance Scheme (**CGEGIS**) should be enhanced 6 times. The Commission has also recommended up-gradation of Group D in the Government with all existing Group D employees being upgraded and placed in the entry grade of Group C. Accordingly, no separate slab for Group D has been recommended.

3. In view of the recommendations of 6th CPC, Department of Personnel & Training vide notification dated 9/4/2009 has classified the posts carrying the Grade Pay of ` 1800/- as Group C.

4. Therefore, it has been decided to enhance the monthly subscription towards CGEGIS and insurance coverage to the erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1 with Grade Pay of ` 1800 and classified as Group 'C', @ ` 30/- per month from 1st January of the next calendar year i.e. January, 2011.

(Manoj Sahay)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list.

Copy to :

C&AG, UPSC, all State Governments etc. as per standard list

NIC, D/o Expenditure for uploading on the Department's website.

सं. 7(1)/ ई. V /2008
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
<u>व्यय विभाग</u>

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2010

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: पी.बी. -1, ग्रेड पे रु. 1800/- में रखे गए और समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए सी.जी.ई.जी.आई.एस.,1980 के अंतर्गत मासिक अंशदान की दर और बीमा कवर।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के 15 मई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(5)- ई. V/89 की ओर केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 को अद्यतन बनाया गया था ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 4.9.4 में सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत मासिक अंशदान की दर और बीमा कवर की राशि में छह गुणा वृद्धि की जानी चाहिए । आयोग ने विद्यमान सभी समूह 'घ' कर्मचारियों का उन्न्यन करने और उन्हें समूह 'ग' के प्रवेश ग्रेड में रखते हुए सरकार में समूह 'घ' के उन्नयन की भी सिफारिश की है । तदनुसार, समूह 'घ' के लिए किसी अलग दर की सिफारिश नहीं की गई है ।

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 9.4.2009 की अधिसूचना के तहत 1800 रु. की ग्रेड पे वाले पदों को समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया है।

4. इसलिए 1800 रु. की ग्रेड पे के साथ पी.बी.1 में रखे गए और समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों हेतु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए मासिक अंशदान तथा बीमा कवरेज बढ़ाकर अगले कलैण्डर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 2011 से 30 रुपए करने का निर्णय लिया गया है ।

(मनोज सहाय)
निदेशक

सेवा में

मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि : मानक सूची के अनुसार सी एंड एजी, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारें आदि ।

एनआईसी, व्यय विभाग को विभाग की वेबसाइट पर लोड किए जाने के लिए ।